the bihar legislature : A HISTORICAL PERSPECTIVE

Bihar has a deep and multi-faceted past. As history dawned in the Indian sub-continent during the sixth century BCE, this region was in the forefront of political and intellectual life. The Nanda dynasty carved out a powerful empire from their Capital at Rajgir, and later the Mauryas and the Guptas developed a pan-India empire from the city of Patliputra (Modem Patna). Bihar also witnessed intellectual efflorescence with the rise of two profound doctrines, Buddhism and Jainism, during this period.

Bihar has the distinction of nourishing one of the earliest democracies in the world. At Vaishali (40 Kms north of Patna) the Lichchavis, during the sixth century BCE, led a confederacy in which important political and administrative decisions were taken collectively by an assembly consisting of as many as 7707 members. The ancient Pali literature provides elaborate rules about conducting the assembly viz., process of moving resolutions, voting by ballot, decision by a majority of Votes, referring ticklish questions to committees, rules about quorum etc. The great Buddha had a high admiration for the constitution of Vaishali, and modelled his own religious sangha after it. Obviously, the people of Bihar have a long history democratic polity, as evidenced by Vaishali Sangha and several other such contemporary sanghas.

In order to trace the genesis of the present day Legislature of Bihar, let us turn the pages of modern history. During the rule of the East India Company, the area of Bihar was made a part of the Bengal Presidency. On 12th December, 1911 the British Emperor George V announced in his Delhi Durbar, the creation of a separate province by combining Bihar and Orissa, with Patna as its headquarter. In the same Durbar, the headquarters of the British Indian Government was shifted from Calcutta to Delhi.

On 22nd March, 1912 the creation of Bihar and Orissa state was notified and Sir Charles Stuwart Bailey became the first Lieutenant Governor of the State. For legislative authority of this newly created province, a 43-member Provincial Legislative Council was constituted. The first meeting of the newly constituted Bihar and Orissa Provincial Legislative council was held on 20th of January, 1913 in Patna. This is the same council, which after many changes and modifications in strength and constitution, now exists as the Bihar Legislative Assembly.

A new administrative system of Dyarchy was introduced by the Government of India Act 1919. According to this, administrative subjects were divided into two groups, namely 'reserved' and 'transferred'. Reserved subjects were administered by the Governor with his Executive Council where as the administration of transferred subjects was done by the Governor with the Provincial Legislative Council. At the same time the province of Bihar and Orissa was elevated to the status of Governor's province and in place of the Lieutenant Governor, a new Governor was appointed. Lord S.P.Sinha became the first Governor of Bihar and Orissa.

At this time, the need for an independent building and secretariat for the Provincial Legislative Council started to be felt. As a result a new building for the Council Secretariat was built in 1920 and the Council started functioning from the same building, which is the main building of Bihar Legislature today. After becoming Governor's State the first meeting of the Bihar and Orissa

Provincial Legislative Council was held under the Presidency of Sir Walter Maude on 7th February, 1921 and it was addressed by Governor Lord S.P. Sinha.

Soon there arose demands for giving more power to the Council. On the other hand the freedom movement under the leadership of Mahatma Gandhi had also gained momentum. Under pressure of the freedom movement, an announcement was made by the British Government to establish a responsible government in India. After three Round Table Conferences and the Poona pact, the British Parliament passed the Government of India Act 1935. Under the Act, Bihar and Orissa were separated and made independent states. The beginning of the system of provincial autonomy was started by this Act. As one of the important provisions of the Act the system of bicameral provincial legislatures was also introduced. Accordingly a separate Upper House to be called the Bihar Legislative Council was created. In this way, the Bihar Legislative Council came into existence and its first meeting with 30 members was held under the Chairmanship of Sri Rajiv Ranjan Prasad on 22nd July, 1936 in a new hall built on the north side of the Assembly hall. Meetings of Bihar Legislative Council take place in this same hall even today.

In this bicameral system the number of members in the Bihar Legislative Assembly was increased to 152. In January 1937, elections to the Bihar Legislative Assembly were held and on 20th July, 1937 the first responsible government was formally constituted under the leadership of Dr. Shri Krishna Singh. The first joint session of the two houses took place on 22nd July, 1937. Shri Ram Dayalu Singh was elected as the Speaker of the Bihar Legislative Assembly.

In the year 1939 after the outbreak of the First World War, the British Indian Government declared the participation of Indian in the war without taking consent of the provincial responsible governments. Protesting this high handedness, Shri Krishna Singh tendered his resignation on 31st October, 1939 and the Bihar Legislative Assembly was dissolved. After the end of the 2nd World war in 1945, the Bihar Legislative Assembly Elections were held again and a government under the leadership of Dr. Shri Krishna Singh was formed once again.

After the enactment of the Indian Constitution in 1950 the first and second general elections to the Bihar Legislative Assembly were held in 1952 and 1957 respectively. In 1952, 330 members were elected directly and one member was nominated separately. Following the recommendations of the State Reorganization Commission 1956, the geographical boundary of Bihar changed once again. As a result the number of elected members in the assembly got reduced to 318 from 330. In different elections held in 1962, 1967, 1969 (Mid term election) and 1972, the strength of the house remained 319. In 1977 in proportion to the population growth the total number of elected members increased from 318 to 324 and the nominated member remained as earlier, so the total strength of the Bihar Legislative Assembly became 325.

After the passing of the Bihar Reorganization Act, 2000 by the Indian Parliament a new state of Jharkhand came into existence carved out of Bihar. As a result on 15th November, 2000, 81 members and one nominated member, altogether 82 members out of 325 became members of newly created Jharkhand Legislative Assembly. Thus the strength of the Bihar Legislative Assembly was reduced to 243, and this remains the same till now.

In the same way the strength of Bihar Legislative Council was increased from 30 to 72 in 1952. In the year 1958, this number was once again enhanced to 96. After the bifurcation and creation of Jharkhand state in 2000, the number of members of Bihar Legislative Council was reduced to 75, which is still the same.

बिहार विधायिका : इतिहास के आइने में

बिहार यानी सभ्यता, ज्ञान और शक्ति का केन्द्र जिसने अपनी समृद्ध राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृति परम्परा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही है वैशाली। यहाँ वज्जीसंघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में कभी मगध, अंग, विदेह, वज्जीसंघ, अंगुत्तराप, कौशकी एवं समूहोत्तर के रूप में चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र को ही आज बिहार के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य के तहत इस भू-भाग को राजनैतिक एकता प्राप्त हुई। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केन्द्र बिन्दु बना। काल खण्ड बदलता गया, परन्तु बिहार की अस्मिता अक्षुण्ण रही। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार का भू-भाग बंगाल प्रेसीडेंसी का अंग बना। परंतु बिहारवासी अपनी सक्रियता एवं कर्मठता के बल पर अगल पहचान बनाए रखने में सफल रहे अैर बिहार को बंगाल से अलग करने की माँग लगातार उठती रही। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन 12 दिसम्बर, 1911 था जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक राज्य बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया।

22 मार्च, 1912 को बंगाल से अगल होकर 'बिहार एवं उड़ीसा' राज्य अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के पहले उप राज्यपाल बने। इस नये राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यी विधायी परिषद् का गठन किया गया। इसमें 24 सदस्य निर्वाचित थे एवं 19 सदस्य उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत थे। यही परिषद्, सदस्यों के संख्या बल में अनेक परिवर्त्तनों के बाद आज बिहार विधान सभा के रूप में विद्यमान है। इस विधायी परिषद् की पहली बैठक 20 जनवरी, 1913 को पटना में हुई।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा भारत में नये शासन पद्धति की शुरूआत हुई। इसके अनुसार केन्द्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया जिसे संघीय विधान सभा एवं राज्य परिषद् नाम दिया गया जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोक सभा एवं राज्य सभा का रूप लिया। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय शासन व्यवस्था (डायार्की) की शुरूआत की गई, जिसके तहत प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों क्रमश: आरक्षित एवं हस्तांतरित में बाँटा गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करते थे जबकि अंतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उप राज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येन्द्र प्रसन्न

सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किये गये। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद् में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्रमश: 76 एवं 27 कर दी गई।

इस समय तक इस विधायी परिषद् के लिये एक स्वतंत्र भवन एवं सचिवालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप वर्ष 1920 में एक नये भवन का निर्माण कराया गया एवं परिषद् का काम इसी भवन में होने लगा। यही परिषद् भवन आज बिहार विधान सभा का मुख्य भवन है। इसी भवन में ''बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद्'' की पहली बैठक 7 फरवरी, 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई एवं इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री लॉर्ड सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा ने संबोधित किया।

प्रान्तों में नई शासन व्यवस्था लागू होने के कुछ ही दिनों के पश्चात् प्रांतीय विधायी परिषद् को अधिक अधिकार दिये जाने की माँग उठने लगी। इधर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। भारत में चल रहे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में उत्तरदीय शासन व्यवस्था कायम करने की घोषणा की गयी। 1930 से 1932 के बीच में तीन गोलमेज सम्मेलनों एवं पूना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद द्वारा 'भारत सरकार अधिनियम 1935' पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा अलग-अलग स्वतंत्र प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। प्रांतीय स्वायतता की भी शुरूआत इसी अधिनियम से हुई। इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरूआत हुई। इसके अनुसार बिहार मे पूर्व से कार्यरत परिषद् का नामाकरण बिहार विधान सभा के रूप में किया गया एवं एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद् का गठन किया गया। इस प्रकार बिहार विधान परिषद् अस्तित्व में आया। 30 सदस्यों वाली नई बिहाश्र विधान परिषद् की पहली बैठक श्री राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई, 1936 को बिहार विधान सभा कक्ष के उत्तर उसी भवन में निर्मित नये सदन-कक्ष में सम्पन्न हुई, और आज भी विधान परिषद् की बैठकें उसी कक्ष में होती आ रही हैं। इस द्विसदनीय व्यवस्था में बिहार विधान सभा के सदस्यों की संख्या 152 कर दी गई। इस आधार पर जनवरी, 1937 में बिहार विधान सभा के गठन हेतु चुनाव सम्पन्न हुए एवं 20 जुलाई, 1937 को डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई, 1937 को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ। 25 जुलाई, 1937 को श्री रामदयालु सिंह बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के पश्चात् ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति लिये बगैर ही भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। इसके विरोधस्वरूप 31 अक्टूबर, 1939 को प्रधानमंत्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधान सभा भंग कर दी गई। 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् बिहार में एक बार

फिर विधान सभा चुनाव कराए गए और इसके बाद डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनी। 25 अप्रील, 1946 को श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा विधान सभा के अध्यक्ष हुए।

सन् 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात् इसके प्रावधानों के अनुरूप सन् 1952 एवं 1957 में क्रमशः पहले एवं दूसरे आम चुनाव सम्पन्न हुये। 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तथा एक सदस्य अलग से मनोनीत किये गये। **'राज्य पुनर्गठन आयोग** 1956' की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमा में पुनः परिवर्त्तन हुआ। परिणामस्वरूप बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई एवं एक सदस्य मनोनीत बच गये। अर्थात् कुल सदस्यों की संख्या 319 रही। सन् 1962, 1967, 1969 (मध्यावधि चुनाव) एवं 1972 में हुए बिहार विधान सभा के विभिन्न चुनावों में इसके सदस्यों की संख्या 319 ही रही। सन् 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत् रहे। इस प्रकार बिहार विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई।

नवम्बर, 2000 में भारतीय संसद द्वारा **'बिहार पुनर्गठन विधेयक'** पारित होने के पश्चात् बिहार से अलग होकर झारखण्ड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके फलस्वरूप बिहार विधान सभा के लिये निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य एवं 01 मनोनीत सदस्य अर्थात् कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के बाद झारखण्ड विधान सभा के सदस्य हो गये। इस प्रकार बिहार विधान सभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रहे गये जो अबतक इसी स्वरूप में है। ठीक उसी तरह 1937 में बिहार विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या 30 थी। संविधान लागू होने के बाद यह 72 कर दी गई। वर्ष 1958 में यह संख्या बढ़कर 96 हो गई और वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन के बाद बिहार विधान परिषद् की संख्या घटकर 75 हो गई, जो अभी भी इसी स्वरूप में है।

Extension Building of Bihar Legislative Assembly

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY